भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/09/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 मार्च, 2024

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला संख्या- एडी (ओआई)- 08/2024

विषय: चीन जन.गण. और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेंसिंग मशीनों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बाद में इसे "आवेदक एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने एक आवेदन दायर किया है और इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड ने आवश्यक डेटा प्रदान किया है (इसके बाद संदर्भित किया गया है) समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (बाद में इसे "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष "घरेलू उद्योग" के रूप में) डंप किए गए सामानों पर एंटी-डंपिंग शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (बाद में "नियम" के रूप में संदर्भित) "प्लास्टिक" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए प्रसंस्करण मशीनें (पीपीएम)" या "इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन", (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) चीन पीआर और ताइवान (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या निर्यात की जाती हैं।

क. **<u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>**

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी ज्ञात है।

3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नतम 40 टन और अधिकतम 3200 टन क्लैपिंग फोर्स वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद में पूरी तरह से असेंबल्ड, सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी), पूर्ण नाक्ड डाउन फार्म (सीकेडी), सब असेंब्लीज भी शामिल हैं।

क. सेमी नाक्ड डाउन स्तर पर एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य ऐसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से है, जिसे पूरी तरह से असेंबल नहीं किया गया है किंतु एक साथ फिट न किए गए सभी जरूरी संघटकों के साथ प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में संपादित की गई है और प्रयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है।

ख. एक पूर्ण रूप से नॉक्ड डाउन स्थिति में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से तात्पर्य अपने अपूर्ण या अधूरे रूप में एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से है जब इसे जोड़ा जाता है तो इसमें पूरी मशीन की विशेषताएं होती हैं और इसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले घटकों को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं।

ग. विशेष रूप से प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन के लिए उप-असेंबली।

4. तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है:

i. ब्लो मोल्डिंग मशीनें उपशीर्ष 847730 00 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है।

ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

iii. सभी इलैक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें मैकेनिकल गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्डिंग क्लोजिंग, मोल्डिंग ओपनिंग, इंजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि को स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिनमें डिजीटल कंट्रोल सिस्टम होता है और हाईड्रोलिक यूनिट के बिना है।

iv. उपशीर्ष 8453 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत वर्गीकृत फुट वियर बनाने के लिए मल्टी-कलर/मल्टी-मोल्ड मशीनरी, रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी फुट वियर और फुट वियर सोल/ स्ट्रेप/ हील इंजेक्शन बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन।

v. सैकेंड हैंड/पहले प्रयोग की गई प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन।

5. संबद्ध वस्तुओं को उपशीर्ष 84771100 और 84779000 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-84 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. आवेदक ने संगत पीसीएन पैरामीटर के रूप में क्लैपिंग फोर्स का प्रस्ताव किया है।

7. इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, सूचित कर सकते हैं। इस संबंध में कोई भी प्रस्तुतीकरण सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विधिवत समर्थित होना चाहिए। किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करने या शामिल करने के किसी भी अनुरोध को सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विधिवत समर्थित किया जाना चाहिए।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के प्रति तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इन्हें नियमों के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

9. नियम 2(बी) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग' का अर्थ है संपूर्ण समान वस्तु के घरेलू उत्पादक या घरेलू उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों कथित डंप की गई वस्तु या स्वयं उसके आयातक हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा"

10. आवेदन प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है, इलैक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन लिमिटेड, मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिबुआरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन लिमिटेड ने संगत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

11. प्रतिभागी उत्पादकों ने कहा है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर उन्होंने न तो संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।

12. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन उत्पादकों के उत्पादक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर इलैक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड, मिलाक्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड को नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भों के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग माना गया है और *प्रथम दृष्टया* ये नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करते हैं।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और ताईवान हैं।

ङ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2022-30 सितंबर, 2023 (12 महीने की अवधि) है। जांच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 (क) (i) का उद्धरण दिया है और इस पर भरोसा किया है तथा दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और यह कि चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि उद्योग में उत्पादन और विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियों के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां प्रबल हैं। जब तक कि चीन जन.गण. से उत्पादक यह न दर्शाएं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां प्रबल हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए, घरेलू उद्योग ने एक उचित लाभ मार्जिन सहित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ भली भांति समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच शुरुआत किए जाने के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

ii. ताईवान के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने दावा किया है कि इसकी संबद्ध देशों से बिक्री कीमत के किसी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इसलिए, आवेदक ने एक उचित लाभ मार्जिन सहित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ भली-भांति समायोजित, उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित सामान्य मूल्य का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरुआत के प्रयोजन हेतु विचार किया गया है।

18. इसलिए, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से, आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ समायोजित किया गया है।

छ. <u>निर्यात कीमत</u>

19. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई आयात सूचना पर भरोसा किया है। चूंकि, सूचना सीआईएफ आधारित है, कारखानागत- निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्ययों और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन किए गए हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए डीजीसीआई एंड एस अथवा डीजी प्रणाली लेनदेन वार आंकड़ों पर भरोसा करेंगे।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक है। अतः इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटित किए जा रहे हैं।

21. आवेदक ने मासिक आधार पर डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन का दावा किया है। जांच के दौरान इसकी जांच की जाएगी। उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को तदनुसार प्रासंगिक जानकारी देनी होगी।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

22. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति के संबंध में प्रथम *दृष्टया प्रमाण* उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में कुल तथा सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों द्वारा उत्पन्न की गई कीमत ह्रास और न्यूनीकरण ने घरेलू उद्योग को इसकी पूरी लागत की वसूली करने और आय की उचित दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका है और इस लाभप्रदता में उल्लेखनीय रूप से नुकसान हुआ है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण, घरेलू

उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग उनकी स्थापित क्षमता से उल्लेखनीय रूप से निम्न रहा है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। पाटन रोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

ञ. <u>शुल्कों को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना</u>

23. आवेदक ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने दावा किया है कि शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया जाना निम्नलिखित के कारण जरूरी है।

क. संबद्ध देशों से भारत में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है। चीन जन.गण. इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताईवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात 23 जनवरी, 2008 से 9 फरवरी, 2022 की अवधि के लिए पाटन रोधी शुल्क के अधीन थे।

ख. भारत में आयतक इस तथ्य से अवगत हैं कि निर्यातक भारत में उत्पादों का पाटन कर रहे हैं। जैसे ही संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त हुए वैसे ही आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से अर्जन करने में सक्षम नहीं है। यदि पाटन रोधी शुल्क को तत्काल लागू नहीं किया गया तो घरेलू उद्योग के पूंजी निवेश में ह्रास होने की संभावना है।

24. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं

ट. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

25. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति व पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध एवं एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के

अनुसरण में प्राधिकारी, एतद द्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित मात्रा की सिफारिश करने के लिए ,जो यदि लागू किया जाए तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, के संबंध में पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

ठ. <u>कार्य प्रक्रिया</u>

26. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा।

ड. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डाटा फाइल्स एमएस- एक्सेल फार्मेट में हो।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादक/ निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में आयातक और प्रयोक्ता, जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, को इस जांच शुरुआत सूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सारी संगत सूचना देने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सारी संगत सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचनाओं में इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर यथाविहित ढंग और तरीके से संगत अनुरोध कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित सूचना तथा आगे की प्रक्रियाओं से अवगत होने तथा अद्यातित रहने के लिए व्यापार उपचार महा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ढ. समय सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित किसी भी सूचना को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि के संप्रेषित किए जाने अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा तत्काल मामले में उन हित (हित के स्वरूप सहित) के बारे में सूचित करने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर उनके प्रश्नावली संबंधी उत्तरों को दायर करने की सलाह दी जाती है।

35. जहां हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है, वहां इसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना का अनुरोध

36. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और प्राधिकारी द्वारा इस

संबंध में जारी संगत व्यापार नोटिसों के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

37. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय सूचना" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और /अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय पाठ अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होनी चाहिए, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

40. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकारा यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में एक पर्याप्त और यथेष्ट स्पष्टीकरण शामिल करते हुए प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

41. इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

42. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके अर्थपूर्ण अगोपनीय पाठ अथवा नियमावली के नियम 7 की शर्तों में एक पर्याप्त और यथेष्ट कारणों के विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिसों के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा।

43. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

44. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. <u>सार्वजनिक पाइल का निरीक्षण</u>

45. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रस्तुतीकरण/प्रतिक्रिया/जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

थ. <u>असहयोग</u>

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी